छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6(ए) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 30 मार्च 2002 को विधिवत् किया गया, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधिपति हैं। इस प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु सदस्य सचिव (जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी), उप सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के समकक्ष) एवं अवर सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2) की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ राज्य के समस्त 23 न्यायिक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है एवं उन जिलों के अधीनस्थ वर्तमान में कुल 65 तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। जिलों में स्थापित प्राधिकरणों का अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रावधानित किए गए हैं एवं तालुका समितियों में वरिष्ठ न्यायाधीश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव (वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के समकक्ष अधिकारी) की नियुक्ति की गई है तथा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव, (वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष) की नियुक्ति की गई है।

निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य में संचालित योजनाएं :–

1. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत
2. नेशनल लोक अदालत
3. विधिक सहायता एवं सलाह
4. विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर
5. स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा)
6. पेंशन लोक अदालत
7. मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
8. दूरभाष पर ऑनलाईन विधिक सेवा योजना
9. नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010
10. नालसा (लीगल एड क्लीनिक पैरालीगल वालिंटियर्स) विनयम, 2011

11. मध्यस्थता केंद्र

12. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011

1. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन :–

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण तथा न्यायालय में प्रकरण पेश होने के पूर्व इस योजना के तहत् पक्षकारों के आपसी राजीनामें के आधार पर दीवानी, मोटर दुर्घटना, फौजदारी (समझौता योग्य प्रकरण) तथा अन्य प्रकरण निराकृत किए जाते हैं। इस हेतु राज्य के सभी न्यायालयों में निरंतर लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह मे एक बार किया जाता है।

वर्ष	गठित लोक अदालत की संख्या	राजीनामा हेतु रखे गए प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	कुल अवार्ड राशि	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या
2018	762	19106	5441	25517281	6235

2. नेशनल लोक अदालत का आयोजन :–

वर्ष 2015 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक माह चयनित विषय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के तहत् भी निरंतर व वृहद लोक अदालत का आयोजन जिला व तालुका स्तर पर किया जा रहा है।

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि में सम्पूर्ण राज्य में आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत् विभिन्न विषयों पर प्रत्येक माह निराकृत किए गए प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Date of National Lok Adalat	Disposal		Total Disposal	Total Amount
		Pre-litigation	Pending		
1	10-02-2018	4248	3587	7835	390444037
2	22-04-2018	3377	4096	7473	384948246
3	14-07-2018	3195	4122	7317	318483720
4	08-09-2018	8431	4011	12442	353684187
5	08-12-2018	2734	5078	7812	516870400
Total :-		21985	20894	42879	1964430590

3. <u>विधिक सहायता एवं सलाह :–</u>

इस योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन या प्रस्तुत करने योग्य प्रकरणों में पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रकरणों में होने वाले व्यय एवं अधिवक्ता की नियुक्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय तक दी जाती है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत सबको न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य के निर्धन एवं सीमांत हितग्राहियों के लिए विधिक सेवा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार पात्रता श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है :–

- वह व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।
- वह व्यक्ति जो मानव दुर्व्यवहारों से या बेगारों से सताया गया है।
- स्त्री या बालक है।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।
- वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु– विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़–
  सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है या
- कोई औद्योगिक कर्मकार है या
- अभिरक्षा में है जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में रखा व्यक्ति भी है या
- यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, भारत का कोई नागरिक जिसकी समस्त स्रोंतों से वार्षिक आय 150000/–रूपये (अंकन एक लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।
- थर्ड जेण्डर, या
- वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, या
- केंसर व्याधि से पीड़ित व्यक्ति, या
- एच.आई.व्ही. से ग्रस्त व्यक्ति भी विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।

इस योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन या प्रस्तुत करने योग्य प्रकरणों में उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान किया जाता है। विधिक सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुक में तालुक विधिक सेवा समितियों की स्थापना की गई है, जिनके कार्यालयों एवं उनके द्वारा स्थापित प्रबंध कार्यालय, लीगल एड क्लीनिक– जो ग्राम सामुदायिक भवन, किशोर न्याय बोर्ड, स्कुल, महाविद्यालयों में स्थापित है, के द्वारा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि में पत्रतानुसार व्यक्तियो को प्रदान की गई विधिक सहायता एवं सलाह का विवरण निम्नानुसार है :–

SC	ST	OBC	General	Women	Children	In Custody	Other	Total
7019	10309	19214	6324	5185	2266	13742	36	64095

4. विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर :–

राज्य के आमजन को कानूनी ज्ञान प्रदान कर उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं विधिक जानकारियों से सुशिक्षित कर समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त किए जाने के लिए राज्य में विधिक साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 23 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं 65 तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविरों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन कर आकाशावाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रचार तंत्र के सहयोग से समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्गों को उनके संरक्षण, लाभ और सशक्तिकण के लिए बनाए गए कानून, कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा संरक्षण प्रकोष्ठों की जानकारी सुदूर गांव–गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

राज्य के ज्वलंत समस्याओं एवं रूढ़िवादिता के प्रति जागरूकता हेतु शार्ट फिल्म का आडियो विडियों के माध्यम से राज्य के समस्त जिला, तालुका, दूरस्थ ग्राम (आदिवासी बहुल क्षेत्रों) में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि में विभिन्न स्थानों में आयोजित किए गए विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का विवरण निम्नानुसार :–

School/ College/ University	Village/ Commnity Centre	Jail/ other custodial home	Slum and labour colonies	Melas/ Exhibitions	Radio	TV	Others	Total Lega Literacy/L dgal Awareness Camp	No. of Persons Attented
2618	5829	500	09	111	50	18	782	9917	678692

5. स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) :–

स्थायी जनोपयोगी लोक अदालतें लोक उपयोगी सेवाएं जैसे परिवहन, डाक–तार या दूरभाष सेवा, किसी संस्थान के द्वारा बिजली, पानी और प्रकाश की आपूर्ति, सार्वजनिक साफ–सफाई, स्वच्छता प्रणाली, औषधालय या चिकित्सालय, बीमा संबंधी विवादों को आपसी सुलह समझौते से निपटारे के लिए और सुलह न हो पाने की स्थिति में सरल प्रक्रिया से गुण–दोष के आधार पर निपटारे के लिए स्थापित की गई है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–22 क एवं ख के अंतर्गत राज्य के 05 जिला बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं सरगुजा (अंबिकापुर) में जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है।

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि में स्थायी लोक अदालत के तहत् निराकृत किए गए विभिन्न प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्रस्तुत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	टेलीफोन	विद्युत सप्लाई	जन स्वच्छता	बीमा सेवाएं	अन्य प्रकरण	लाभांवितों की संख्या
2018	346	151	05	54	25	48	19	151

6. पेंशन लोक अदालत :–

इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त के पश्चात् पेंशन, ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा आदि की राशि प्राप्त करने में विलंब या कोई अन्य समस्या होने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व नियोक्ता को नोटिस देकर वांछित कार्यवाही की जाती है।

दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि में पेंशन लोक अदालत के तहत् निराकृत किए गए विभिन्न प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

No. of Pension Lok Adalat Held	No. of Cases Settled	No. of Benefited Person
140	37	40

7. मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :–

अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंदियों को इस योजना के अंतर्गत मामले की पैरवी हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अभिरक्षाधीन बंदी के प्रतिप्रेषण (रिमाण्ड) का विरोध करें तथा उसका यह भी कर्तव्य है कि प्रतिप्रेषण के समय न्यायालय में उपस्थित रहें। वर्ष 2018 के लिए नियुक्त किए गए रिमाण्ड पैनल अधिवक्ताओं की संख्या 182 रही है।

8. दूरभाष पर ऑनलाईन विधिक सहायता एवं टोल फ्री योजना :–

दूरभाष के माध्यम से आम जनता का विधिक सहायता कैसे एवं किस रूप में प्राप्त की जा सकती है तथा विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ? संचालित योजनाओं का उद्देश्य क्या है ? दूरभाष पर ही किसी स्थान से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय

विधिक सेवा समिति में विधिक सेवा ऑनलाईन दूरभाष स्थापित किए गए हैं। टोल फ्री योजना के तहत् भी देश के किसी भी कोने से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित टोल फ्री नंबर 18002332528 पर संपर्क स्थापित कर विधिक सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9. नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 :–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार कानूनी सहायता प्रदान करने की विधिक व्यवस्था के तहत् इस योजना को वर्ष 2010 में प्रभावशील में लाया गया है। जिसके तहत् प्रबंध कार्यालय की स्थापना, पैनल व प्रतिधारक अधिवक्ताओं की नियुक्ति, मॉनिटरिंग समिति व मूल्यांकन समिति का गठन आदि व्यवस्थाओं के तहत् विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

10. नालसा (लीगल एड क्लीनिक एवं पैरालीगल वालिंटियर्स) योजना, 2010 :–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार समाज के कमजोर, पिछड़े एवं सीमान्त वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं कानूनी सलाह प्रदान किए जाने, शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक जानकारी उनके हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाने तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराने आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा लीगल एड क्लीनिक योजना, 2010 संचालित की जा रही है। माह दिसम्बर 2018 तक की स्थिति में राज्य में कुल 513 लीगल एड क्लीनिक की स्थापना ग्राम पंचायत क्षेत्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, किशोर न्याय बोर्ड, सामुदायिक केंद्र, बाल कल्याण समिति एवं जेलों की गई है। जिसके अंतर्गत कुल 686 प्रशिक्षित पैरालीगल वालिंटियर्स को नियुक्त किया गया है। राज्य में प्रशिक्षित पैरालीगल वालिंटियर्स की कुल संख्या 2783 है।

11. मध्यस्थता केंद्र द्वारा प्रकरणों का निराकरण :–

मध्यस्थता विवादों को निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति मध्यस्थ (मीडियेटर) दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनक सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए उन्हे तैयार करता है। उच्च न्यायालय परिसर एवं राज्य के समस्त 23 जिलों में मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2018 में माह जनवरी से दिसम्बर 2018 तक की अवधि में मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से कुल 559 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

12. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 :–

ऐसे पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोट या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, क्षतिपूर्ति के लिए निधि के प्रावधान हेतु पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना बनाई गई है। वर्ष 2018 में माह जनवरी से दिसम्बर 2018 तक कुल 865 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 535 प्रकरणों का निराकरण किया गया है

एवं पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 34605000/– रूपये का अवार्ड प्रदान किया गया तथा वर्तमान में लंबित प्रकरणों की संख्या 442 है।

अन्य प्रमुख गतिविधियॉ

1. दूरदर्शन पर विधिक सेवा कार्यक्रम का प्रसारण के अनुक्रम में दूरदर्शन केंद्र रायपुर के माध्यम से ''हम आप और कानून'' के नाम से प्रसारित विधिक सेवा का कार्यक्रम प्रत्येक द्वितीय एवं तृतीय शनिवार को किया जाता है। जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र रायपुर से किया जा रहा है। वर्ष 2018 में विधिक सेवा से संबंधित 18 विभिन्न विषयों पर दूरदर्शन केंद्र से लाईव्ह प्रसारण किया गया।

2. आकाशवाणी से विधिक सेवा कार्यक्रम का प्रसारण के अनुक्रम में ''कानून की बात'' के नाम से प्रसारित विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन माह के प्रत्येक रविवार को छत्तीसगढ़ के समस्त आकाशवाणी केंद्र से किया जाता है। वर्ष 2018 में विधिक सेवा से संबंधित 50 विभिन्न विषयों पर राज्य के समस्त आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारण किया गया।

3. मिडीएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम :– वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण हेतु मध्यस्थता केंद्रों को प्रभावी एवं सशक्त बनाए जाने हेतु मध्यस्थता केंद्रों में कुशल एवं प्रशिक्षित मध्यस्थतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एम.सी.पी.सी., नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए समय–समय पर मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं रिफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है। वर्ष 2018 में 25 से 29 जून 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बिलासपुर में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु 40 घण्टे का मेडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। पूर्व प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के लिए 20 घण्टे का रिफ्रेशर कोर्स दो चरणों में क्रमशः दिनांक 5 जुलाई से 7 जुलाई 2018 तक एवं 12 जुलाई से 14 जुलाई 2018 तक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित किया गया। उक्त दो चरणों में सम्पन्न रिफ्रेशर कोर्स के अंतर्गत 23 न्यायिक अधिकारीगण एवं 23 अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

4. नालसा माड्यूल 2018 के अंतर्गत विशेष विधिक सेवा शिविरों का आयोजन :– भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि का शासन (Rule of Law) की अवधारणा की गई है। इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है कि बिना भेदभाव के समस्त नागरिकों को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना। न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना सिर्फ न्यायालयीन प्रकरणों तक सीमित नहीं है, वरन् शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराना तथा इन योजनाओं तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना भी है। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा

प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विधिक सेवा शिविरों का माड्यूल 2018 तैयार किया गया है। इस माड्यूल के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक चयनित जिलों में एक–एक विशेष सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ–साथ शासन की विभिन्न विभाग जिनके द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है, के स्टाल लगाए जाते है तथा शिविरों के माध्यम से आज जनता को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराया जाकर उन्हें शिविर के माध्यम से ही विभिन्न योजनाओं का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराया गया है। राज्य में अब तक कुल 09 विशेष विधिक सेवा शिविर आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा 39941 व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

5. डोर टू डोर अभियान :– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस 09 नवम्बर के तत्वाधान में पूरे राज्य में दिनांक 09 नवम्बर से 18 नवम्बर 2018 तक 10 दिवसीय डोर टू डोर अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालिंटियर्स की टीम के द्वारा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों एवं मोहल्लों में भ्रमण कर एवं घर–घर दस्तक देकर आमजनों को विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं तथा उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई तथा इस संबंध में प्रचार सामग्री पाम्पलेट्स, बुकलेट, पोस्टर वितरित किए गए। सार्वजनिक स्थलों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। डोर टू डोर अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में 79120 लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना की उपलब्धता की जानकारी दी गई तथा विधिक सहायता के लिए जरूरतमंद 3015 व्यक्तियों की पहचान की गई तथा उनके आवेदन विधिक सेवा संस्थाओं को प्रेषित किया गया। इस अभियान में 2133 ग्रामों/शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया।

6. विधिक जागरूकता से संबंधित लघु फिल्म समारोह का आयोजन :– छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा फिल्मों के माध्यम से विधिक जागरूकता लाने के प्रयोजन से दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2018 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में दो दिवसीय फिल्म फेस्टिल "Shoot for Awareness-2018" का आयोजन किया गया। उक्त फिल्म समारोह में विधि से संबंधित विषयों पर देश विदेश से 498 फिल्म प्राप्त हुए, जिनमें से चयनित 30 फिल्मों को समारोह में प्रदर्शित किया गया।

(विवेक कुमार तिवारी)
सदस्य–सचिव